संख्या- 1067/78-2-2017-42आईटी/2017

प्रेषक,

राहुल भटनागर
मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
3- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4- प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, निकायों, परिषदों एवं स्वायत्तशासी निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 12 मई 2017

विषय- शासकीय विभागों में ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू किया जाना ।

महोदय/ महोदया,

नेशनल ई-गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत चिन्हित विभिन्न मिशन मोड परियोजनाओं में ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली एक महत्वपूर्ण परियोजना है। उत्तर प्रदेश में पायलट परियोजना के रूप में लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, मुद्रण एवं लेखन विभाग, उद्योग निदेशालय, विश्व बैंक पोषित/वाह्य सहायतित सभी परियोजनाओं में पायलट परियोजना के रूप में ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू की गई थी। कतिपय अन्य विभागों में भी ई-टेण्डरिंग प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं, कि पारदर्शी और स्वच्छ प्रशासन तथा शासकीय विभागों में निर्माण कार्यों, सेवाओं/जॉब-वर्क एवं सामग्री के क्रय में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित कराये जाने हेतु उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/विकास प्राधिकरणों/नगर निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/ निकायों इत्यादि में एन.आई.सी. के ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्लेटफार्म http://etender.up.nic.in का प्रयोग करते हुए सभी निर्माण कार्यों, सेवाओं/ जॉब-वर्क एवं सामग्री के क्रय, चालू अनुबंध (Running contract) एवं दर अनुबंध (Rate contract) हेतु ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- प्रदेश में ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू करने हेतु यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) नोडल एजेन्सी होगी तथा ई-टेण्डरिंग करने वाले विभागों/उपक्रमों इत्यादि को एन.आई.सी., लखनऊ तथा यूपीएलसी द्वारा आवश्यकतानुसार हैण्डहोल्डिंग सहायता प्रदान की जायेगी। ई-टेण्डरिंग प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक हार्डवेयर उपकरण इत्यादि एन.आई.सी. को यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं, तथा भविष्य में भी आवश्यकतानुसार अन्य हार्डवेयर उपकरण यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।

4- ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली में नियमों एवं प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, अपितु वर्तमान नियमों एवं प्रक्रियाओं के अन्तर्गत ही केवल इलेक्ट्रानिक प्रणाली का उपयोग करते हुए टेण्डरिंग की कार्यवाही की जायेगी। उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेण्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) एवं तत्सम्बन्धी अन्य नियम उक्त श्रेणियों की ई-टेण्डरिंग में यथावत् लागू रहेंगे एवं इनमें प्रचलित पेपर ट्रांजेक्शन के स्थान पर मात्र इलेक्ट्रानिक माध्यम का प्रयोग करते हुए निविदा प्रक्रिया, ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली द्वारा निम्नवत् सम्पादित की जायेगी:-

- जिन निर्माण कार्यों, सेवाओं/ जॉब-वर्क एवं सामग्री के क्रय, चालू अनुबंध (Running contract) एवं दर अनुबंध (Rate contract) हेतु निविदा प्रक्रिया मैनुअल विधि से सम्पादित की जाती है, उन निविदाओं को ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली के माध्यम से कराया जाना प्रत्येक विभाग के लिए अनिवार्य होगा।
- ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न कार्यवाही यथा- ई-रजिस्ट्रेशन, ई-कोडिंग, टेण्डर क्रियेशन, टेण्डर प्रकाशन, टेण्डर परचेज, सबमिशन, बिड ओपनिंग आदि समस्त कार्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से किये जायेंगे।
- सर्वाधिक प्रतिस्पर्द्धात्मक दरें प्राप्त करने के लिए अलग-अलग ई-प्रोक्योरमेण्ट प्लेटफार्म का प्रयोग करने के स्थान पर सभी विभागों द्वारा एन.आई.सी. द्वारा विकसित ई-प्रोक्योरमेण्ट प्लेटफार्म http://etender.up.nic.in पर ई-प्रोक्योरमेण्ट किया जायेगा।
- ई-प्रोक्योरमेण्ट के बिड्स एवं डाटा की गोपनीयता, सुरक्षा तथा अनुरक्षण का दायित्व एन.आई.सी. का होगा।

5- टेण्डर करने वाले विभागीय अधिकारियों, टेण्डर समिति के सदस्यों, निविदादाताओं (बिडर्स), आपूर्तिकर्ताओं (वेण्डर्स), कान्ट्रैक्टर्स को ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली सम्बन्धी आवश्यक प्रशिक्षण यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा निःशुल्क प्रदान किया जायेगा। यूपीएलसी द्वारा बिडर्स/ कान्ट्रैक्टर्स/वेण्डर्स को उनके कम्प्यूटर/लैपटाप पर ई-टेण्डर सम्बन्धित सॉफ्टवेयर अपलोड कराकर ई-टेण्डर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

हेतु तैयार किया जाना, टेण्डर डाउनलोड, टेण्डर सबमिशन, मॉक ई-टेण्डर सबमिशन द्वारा ई-टेण्डर प्रणाली पर कार्य करना इत्यादि के प्रयोग का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। साथ ही विभागीय अधिकारियों को ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया हेतु तत्सम्बन्धित सॉफ्टवेयर, ई-टेण्डर का विकास, बीओक्यू (बिल ऑफ क्वान्टिटी) तैयार किया जाना, टेण्डर अपलोडिंग, टेण्डर ओपनिंग, टेण्डर ईवैल्यूवेशन इत्यादि का निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जायेगा।

6- ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली का उपयोग करते हुए टेण्डर करने वाले विभाग द्वारा सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन शुल्क, निविदा शुल्क एवं वेण्डर/कान्ट्रैक्टर द्वारा देय पंजीकरण शुल्क निम्न प्रकार देय होगाः-

- प्रत्येक विभाग द्वारा केवल एक बार रू0 5000.00 +अनुमन्य सर्विस टैक्स, कस्टमाइजेशन शुल्क के रूप में नोडल संस्था- यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) को देय होगा।
- निविदा शुल्क के रूप में विभाग द्वारा प्रत्येक टेण्डर हेतु टेण्डर आदेश मूल्य का 0.01 प्रतिशत - न्यूनतम रू 250.00 तथा अधिकतम रू 5000.00 (सर्विस टैक्स सहित) यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) को देय होगा।
- इस प्रणाली के अन्तर्गत बिडर्स/कॉन्ट्रैक्टर्स/वेण्डर्स द्वारा प्रथम बार रू 6000.00 (सर्विस टैक्स सहित) शुल्क, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को देकर, प्रथमतः उपलब्ध डिजिटल सिग्नेचर्स के साथ कम्पनी/फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके आधार पर वे दो वर्ष तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के श्रेणीवार अनुमन्यता के आधार पर सभी टेण्डर में भाग ले सकेंगे। रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण हेतु शुल्क मात्र रू 3000.00 (देय कर अतिरिक्त) प्रति दो वर्ष हेतु मान्य होगा।
- ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली में प्रतिभाग करने वाले बिडर्स/ कान्ट्रैक्टर्स/ वेण्डर्स तथा विभागीय अधिकारियों एवं टेण्डर समिति के सदस्यों को रू 1708.00 (समस्त करों सहित) प्रति व्यक्ति की दर से शुल्क जमाकर डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करने होंगे। डिजिटल सिग्नेचर दो वर्ष के लिए वैध होंगे। ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग हेतु आवश्यक डिजिटल सिग्नेचर विभागीय अधिकारियों/निविदादाताओं द्वारा कन्ट्रोलर ऑफ सर्टिफाईंग अथॉरिटीज, भारत सरकार द्वारा अधिकृत एन.आई.सी- नई दिल्ली, टीसीएस-मुम्बई, सेफ-स्क्रिप्ट-चेन्नई, आई.डी.आर.बी.टी., (एन) कोड सॉल्यूशन्स, ई-मुद्रा, सी-डैक, कैप्रीकॉर्न आईडेन्टिटी सर्विसेज प्रा.लि., एन.एस.डी.एल. टेक्नोलोजी, जी.एन.एफ.सी. आदि सर्टिफाईंग अथॉरिटीज अथवा उनके रजिस्टरिंग अथॉरिटीज में से किसी एक से निर्धारित शुल्क जमा करके प्राप्त किये जा सकते हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7- उक्त कार्यो हेतु यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) को शासन से कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता देय नहीं होगी। यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) को मात्र उक्त कार्यों के सापेक्ष पंजीकरण शुल्क, कस्टमाइजेशन शुल्क एवं निविदा शुल्क उक्त सुविधाओं के एवज में उपलब्ध होगी।

8- प्रत्येक विभाग द्वारा ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग किये जाने हेतु विभाग में आवश्यक कम्प्यूटर हार्डवेयर उपकरण की स्थापना, न्यूनतम 512 केबीपीएस ब्रॉड बैण्ड कनेक्शन तथा वॉछनीय एण्टीवायरस सॉफ्टवेयर लोड कराना होगा। सम्बन्धित विभागों, उपक्रमों इत्यादि द्वारा ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू करने हेतु आवश्यक हार्डवेयर, प्रशिक्षण, सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन, डिजिटल सिग्नेचर इत्यादि आवश्यक व्यवस्थायें तीन माह में पूर्ण करा ली जायें। निविदा शुल्क (Tender fees) के भुगतान तथा धरोहर राशि (Earnest Money) के भुगतान एवं वापसी की प्रक्रिया भी भौतिक रूप (Physical Form) में न करके ऑनलाईन व्यवस्था ही सुनिश्चित की जाये।

9- सम्बन्धित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव स्तर पर नियमित रूप से बैठकें आयोजित करके ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा सुनिश्चित की जाये।

10- यदि विभाग द्वारा ई-प्रोक्योरमेण्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू करने में कठिनाई अनुभव की जाती है तो सम्बन्धित विभाग द्वारा इस प्रणाली को लागू करने से छूट प्राप्त करने के लिए आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के माध्यम से उच्चादेश प्राप्त करने होंगे।

11- जिन विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/निकायों/स्वायतशासी निकायों तथा संस्थाओं द्वारा अपनी विशिष्ट कार्य प्रणाली आकस्मिकता/तात्कालिक प्राथमिकता के दृष्टिगत जनहित में पूर्व में टेण्डर संबंधित निर्देश/ शासनादेश निर्गत किये गये है, उन सभी पर, उस सीमा तक, इस ई- टेण्डर संबंधित शासनादेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

12- प्रदेश में एक लाख से कम आबादी वाले नगरीय निकायों तथा समस्त ग्राम पंचायतों में ई-टेण्डरिंग संबंधी आवश्यक अवस्थापना/आधारभूत सुविधायें मानव संसाधन, तकनीकी ज्ञान इत्यादि की व्यवस्था होने के उपरान्त ही, ई-टेण्डर संबंधी शासनादेश को प्रभावी करने हेतु प्रशासकीय विभाग के स्तर से तद्नुसार निर्देश निर्गत किये जायेंगे।

उक्त शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(राहुल भटनागर)
मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-1067(1)/78-2-2017 तददिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

2- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

3- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

4- निदेशक उद्योग, कानपुर, उत्तर प्रदेश ।

5- निजी सचिव, मा. उप मुख्यमंत्री एवं विभागीय मंत्री जी, आईटी एवं इले0 विभाग, उ0प्र0।

6- निजी सचिव, मा. राज्यमंत्री जी, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0।

7- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश ।

8- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।

9- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उत्तर प्रदेश शासन ।

10- निजी सचिव, विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उत्तर प्रदेश शासन ।

11- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., उत्तर प्रदेश एकक, लखनऊ।

12- राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, यूपीडेस्को, लखनऊ।

13- प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।

14- महालेखाकार, लेखा परीक्षा-प्रथम एवं द्वितीय कार्यालय, इलाहाबाद।

15- निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ।

16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव सरन)

अपर मुख्य सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।